संख्या-267/2023/1642/22-2-2022-17(1271)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुन्दर लाल गोसाई, निवासी जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुन्दर लाल गोसाई, जो भैंसहा, थाना-कोड़िया, जनपद-गोण्डा का निवासी है। दिनांक 26.03.2005 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छोटके दूबे को गाली देते हुए मार रहे थे, जगतपाल ने ऐसा करने से मना किया तो देशी बम से मारकर जगतपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-371/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304 भाग-1/34, 504, 323/34, 324/34, 506 भाग-2 में मा0 न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोण्डा के आदेश दिनांक 22.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2021 तक 16 वर्ष, 06 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 54 वर्ष होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-793/2010) पुत्र श्री सुन्दर लाल गोसाई, निवासी जनपद-गोण्डा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-267/2023/1642(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कृष्ण कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।